

जि.ओ.एच (आवास विभाग) आवासीय करािय दार तालाब दि

Department of अपने अधिकारों पर ध्यान दे

सूचना : यह मार्गदर्शन कोभडि-१९ महामारी के दौरान परविर्तन के अधीन हैं। ७ मई, २०२० तक, इलिनोइस सुप्रीम कोर्ट ने "सभी गैर-आवश्यक अदालती मामलों और कार्यवाही में देरी की हैं", जिसमें बेदखली कार्यवाही शामिल हैं। इसके अतरिक्ति, इलिनोइस के गवर्नर ने कार्यकारी आदेश संख्या ३० जारी किया, जो अधिकांश आवासीय और गैर-आवासीय बेदखली को प्रतिबंधित करता है। एक अदालत के आदेश के अनुसार कानूनी निष्कासन तब तक नहीं होगा जब तक कि इलिनोइस सुप्रीम कोर्ट और इलिनोइस के गवर्नर इन आदेशों को वापस नहीं लेते हैं, जो इस नोटिस को अपडेट करने वाले मार्गदर्शन द्वारा परिलक्षति होगा।

तालाबंदी क्या है?

किसी भी समय जब मकान मालिक निम्नलिखिति में से करता है या किसी भी आवासीय किरायेदार के घर या अपार्टमेंट के संबंध में धमकी देता है तो तालाबंदी पाए जाते हैं ;

- ताले को बदले या अक्षम करे
- किसी भी पुरवेश द्वार को ब्लॉक करें
- दरवाज्ेया खड़िकयाः हटाएँ
- उपयोगिता स`वाओं क` साथ बंद करें या हस्तक्षेप करें, जिसमें गर्मी, बिजली, गैस, गर्म या ठंडा पानी, प्लंबिंग और फोन स`वा शामिल हैं
- उपकरणों या फिक्सूचर को निकालें
- कराय दार की निजी संपतृत को निकाले
- करािय दार या उनकी संपत्ति के खिलाफ हिंसा का उपयोग करें या धमकी दें
- कोई अनय कार्य संपतृति को दुरगम या नरिजन बनाने के लिए करें

कैसे मैं तालाबंदी की रिपोर्ट करू?

प्रभावति करिाये दारों को लॉकआउट रिपोर्ट करने के लिए ३११ पर कॉल करना चाहिए और मामले की रिपोर्ट मा गनी चाहिए।

तालाबंदी की रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा ?

तालाब दी एक नागरिक मामला नहीं है। यह शिकागो पुलिस विभाग (सीपीडी) की नीति हैं और शिकागो नगर संहताि की एक आवश्यकता है कि जब भी किसी तालाब दी की शिकायत मिलती हैं, तो सीपीडी जा च करेगा, और उल्ल घन होने पर उचित कार्रवाई करेगा।

सीपीडी (CPD) क से छानबीन करेगा?

जब एक सीपीडी अधिकारी को, एक मकान मालिक-करिाय ेदार विवाद को सौं पा जाता है , जिसमें तालाब दी का आरोप लगाया जाता है , तो अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि तालाब दी हुई है या नहीं । किराय ेदार के पास लिखिति पट्टा होना आवश्यक नहीं है ।

कुक काउंटी शेरिफ ने किरायेदार को बेदखल करने का आदेश को लागू किया है तो, संपत्ति से तालाबंदी नहीं हुई है, लेकिन यह सलाह दी जानी चाहिए कि वर्तमान में कोभीड के कारण निष्कासन रुके हुए हैं ।

कैसे तालाबंदी सुलझा जाएगा?

यदि सीपीडी दृश्य में है और यह निर्धारित किया है कि, मकान मालिक ने आवासीय किरायेदार को तालाबंदी करने के लिए धमकी दी है तो, अधिकारी को धमकी देने वाले मकान मालिक को तुरंत खतरों या वास्तविक तालाबंदी को समाप्त करने का निर्देश देना चाहिए, नहिती जोखिम को गरिफ्तार किया जाएगा।

लॉकआउट हल किया गया है या नहीं, अधिकारी शिकायत कर्ता को एक विविधि घटना रिपोर्ट (सीपीडी-११.४१९) प्रदान करेगा और उन्हें अतिरिक्ति मदद के लिए ३११ पर कॉल करने के लिए सूचित करेगा।

